

# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 17/2023

GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/19

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस  
लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स,  
शास्त्री सर्कल उदयपुर

अप्रार्थी / रेस्पोंडेंट्स:-

1. श्रीमती बिल्कीस पत्नी श्री अब्बास अली  
निवासी 32, सैफी मोहल्ला, वार्ड सं. 32,  
नई आबादी, तहसील व जिला बांसवाड़ा  
(ऋणी/बंधक कर्ता)
2. श्री अब्बास अली पुत्र श्री तेयब अली  
निवासी 26, सैफी मोहल्ला, वार्ड सं. 32,  
नई आबादी, तहसील व जिला बांसवाड़ा  
(सहऋणी)
3. श्री वल्लभ राम गरसिया पुत्र श्री कान्ता  
गरसिया निवासी मंडवा, सावली, माधव  
चौक, जिला बांसवाड़ा (जमानती)

बनाम

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति  
हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :- 20-09-2023

प्राधिकृत अधिकारी एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर की ओर से श्री राकेश पाटीदार, अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर 1- श्रीमती बिल्कीस पत्नी श्री अब्बास अली निवासी 32, सैफी मोहल्ला, वार्ड सं. 32, नई आबादी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (ऋणी/बंधक कर्ता) 2- श्री अब्बास अली पुत्र श्री तेयब अली निवासी 26, सैफी मोहल्ला, वार्ड सं. 32, नई आबादी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (सहऋणी) 3- श्री वल्लभ राम गरसिया पुत्र श्री कान्ता गरसिया निवासी मंडवा, सावली, माधव चौक, जिला बांसवाड़ा (जमानती) को दिनांक 21-12-2017 को राशि रुपये 13,00,000 (अक्षरे तेरह लाख रुपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 21-08-2019 को अक्रियान्वित आस्त में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 02-03-2020 को कुल बकाया राशि 13,91,490 रु. (तेरह लाख ईक्यानवे हजार चार सौ नब्बे रुपये मात्र) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। सिव्थोरीटी के रूप में अपनी अवल सम्पत्ति प्रार्थी के पास रहन की जिसका विवरण श्रीमती बिल्कीस पत्नी श्री अब्बास अली की सम्पत्ति जो खसरा सं. 2753/544 मुरिलम कोलोनी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) पर

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
बांसवाड़ा (राज.)



स्थित सम्पत्ति जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसका माप लगभग 138 वर्ग गज है, जिसके पूर्व में प्रथम पक्ष की भूमि, पश्चिम में 20 फीट रोड, उत्तर में अन्य की भूमि, दक्षिण में श्री शबीर भाई का भूखंड, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर 2015 के अनुसार प्रार्थी एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (ड) के उप-खंड (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) सरफेसी एक्ट 2002 के तहत दिनांक 12-03-2020 को ऋणी अप्रार्थीगणों को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नहीं की व ऋण राशि जमा नहीं करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 17.01.2023 को जारी किये गए। अप्रार्थी सं. 3 दिनांक 27.07.2023 को उपस्थित हुए एवं जवाब हेतु अवसर चाहा। दिनांक 16.08.2023 को अप्रार्थी सं.3 ने उपस्थित होकर जवाब हेतु पुनः समय चाहा। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के नोटिस बाद तामील दिनांक 06.09.2023 को प्रस्तुत हुए। समस्त अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। आज दिनांक 20.09.2023 को भी समस्त अप्रार्थीगण अनुपस्थित हैं। अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 को बार-बार रुक-रुक कर सायं 04.00 पी.एम तक आवाज लगवाई गई, ऋणी/अप्रार्थी सं. 1 से 3 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। अप्रार्थी सं. 3 का जवाब बंद किया जाता है एवं समस्त अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगणों 21-12-2017 को राशि रुपये 13,00,000 (अक्षरे तेरह लाख रुपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 21-08-2019 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत


वक्ता  
बांसवाड़ा (राज.)

कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 02-03-2020 को कुल बकाया राशि 13,91,490 रु. (तेरह लाख ईक्यानवे हजार चार सौ नब्बे रुपये मात्र) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। ऋणी/ अप्रार्थीगणों द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। वित्तीय संस्था द्वारा दिनांक 21-12-2017 को राशि रुपये 13,00,000 (अक्षरे तेरह लाख रुपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 21-08-2019 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय संस्था द्वारा सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत दिनांक 12-03-2020 को ऋणी अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गए, जो कि अप्रार्थीगणों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये तथा समाचार पत्र में भी उक्त नोटिस प्रकाशित किये गये हैं। अप्रार्थीगण दौराने सुनवाई इस न्यायालय में भी अनुपस्थित रहे हैं। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तीय संस्था का होगा। तहसीलदार बांसवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोढा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से-पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह नियमानुसार पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 20-09-2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



  
(प्रकाश चन्द्र शर्मा)  
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
बांसवाड़ा (राज.)